न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

ासीन अधिकारी का नाम – अर्चना बुगालिया (R.A.S)

जस्व वाद संख्या :– 66 / 2022, ऑनलाईन नम्बर 2022 / 158

यर तिथि :– 23.06.2022

र्णय तिथि :– 19.03.2024

उनवान

1. हरिराम पुत्र नाथु जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
2. अम्बालाल पुत्र मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
3. कमला पुत्री मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
4. मंगुडी पुत्री मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
5. रम्भाबाई पत्नि मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
6. रामलाल पुत्र मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।

..................**वादीगण**

बनाम

1. छगनलाल पुत्र गोकुल जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
2. भँवरलाल पुत्र केशु जी जाति भील निवासी एमडी व जिला राजसमन्द।
3. बंशी पुत्री केशु जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
4. किशन पुत्र लालूराम जी जाति भील निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
5. बाबुलाल पुत्र लालूराम जी जाति भील निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
6. मूलचन्द पुत्र लालूराम जी जाति भील निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
7. रूपलाल पुत्र लालूराम जी जाति भील निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद।

................**प्रतिवादीगण**

वाद बाबत विभाजन भूमि एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

उपस्थित

वादी की ओर से अधिवक्ता – श्री शेषमल गाडरी

प्रतिवादी संख्या 1 – श्री भोपाल सिंह राव

प्रतिवादी संख्या 2 – एकपक्षीय

प्रतिवादी संख्या 3 से 7 – श्री विजय सिंह राव

प्रतिवादी संख्या 8 – पेरोकार राज

: आदेश :

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम एमडी पटवार हल्का एमडी मे स्थित आ. नं. 33, 40, 53, 64, 66, 77, 78, 810, 891 कुल किता 9 का कुल रकबा 1.7887 हैक्टेयर भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की है, सभी खातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग काश्त कर रहे है तथा भूमियां राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन करवाना चाहते है। अतः वादीगण का

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार फरमाया जाकर विधिवत रूप से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स आधार पर विभाजन किया जाकर वादग्रस्त भूमियों में से वादीगण का हिस्सा पृथक रूप से वादीगण के नाम अंकित कराया जावे। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी सं. 1 की और से अधिवक्ता श्री भोपाल सिंह राव उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी सं. 2 अनुपस्थित, प्रतिवादी सं. 3 से 7 की और से अधिवक्ता श्री विजय सिंह राव उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दिनांक 07.11.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। उक्त अनापति के आधार पर दिनांक 07.11.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी पालना मे तहसीलदार राजसमंद ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2023/1729 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा विभाजन योजना मय फहरिस्त एवं नक्सा ट्रेस प्रैषित की गई। अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार फरमाई जाकर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने की ईस्तदुआ की गई। हमने पत्रावली व प्राप्त विभाजन योजना का निरीक्षण किया। प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है, अतः तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत की गई विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम एमडी पटवार मण्डल एमडी तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द स्थित खाता संख्या 704 सम्वत् 2077 में दर्ज आराजी संख्या 33, 40, 53, 64, 66, 77, 78, 810, 891 कुल किता 9 का कुल रकबा 1.7887 हैक्टेयर लगान 53.72 का विभाजन, विभाजन योजना के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	अम्बालाल, रामलाल पिता मोहन 596/931 कमला मंगुडी देवी पुत्री मोहन रम्भाबाई पत्नि मोहन 335/931 भील सा. देह खा.	33/2 40/2 53/1 810/1 891/3	0.0891 0.0891 0.0647 0.1538 0.1619	चा।। चा।। चा।। चा। चा।	2.75 2.75 2.00 6.17 6.50
	योग	किता 5	**0.5586**	–	**20.17**
2	हरिराम पुत्र नाथू भील सा. देह खा.	33/1 40/3 53/2 810/2 891/2	0.0890 0.0890 0.0648 0.1457 0.1619	चा।। 0.0485 जा।। 0.0405 चा।। चा।। चा। चा। 0.0809 जा। 0.0810	1.50 0.62 2.75 2.00 5.85 3.25 1.60
	योग	किता 5	**0.5504**	–	**17.57**

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

3	भंवरलाल पुत्र केशु भील सा. देह खा.	33/3	0.0809	जा।।	1.25
		40/1	0.0809	चा।।	1.25
				0.0404	
				जा।।	0.38
				0.0243	
				बीड।	0.06
				0.0162	
		77	0.1619	चा।।	4.25
				0.1376	
				जा।।	0.38
				0.0243	
		78	0.0324	बीड।	0.12
		891/1	0.1537	जा।	3.04
	योग	**किता 5**	**0.5098**	—	**10.73**
4	छगनलाल पुत्र गोकल भील सा. देह खा.	64	0.0890	चा।।	2.75
		66	0.0809	चा।।	2.50
	योग	**किता 2**	**0.1699**	—	**5.25**

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक–पृथक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार राजसमन्द को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भेजी जावें कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। उक्त निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्चना बुगालिया (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

संख्याक नं. 1

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – अर्चना बुगालिया (R.A.S)

राजस्व वाद संख्या :– 66/2022, ऑनलाईन नम्बर 2022/158

दायर तिथि :– 23.06.2022

निर्णय तिथि :– 19.03.2024

उनवान

1. हरिराम पुत्र नाथु जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
2. अम्बालाल पुत्र मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
3. कमला पुत्री मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
4. मंगुडी पुत्री मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
5. रम्भाबाई पत्नि मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
6. रामलाल पुत्र मोहन जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।

..................वादीगण

बनाम

1. छगनलाल पुत्र गोकुल जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
2. भँवरलाल पुत्र केशु जी जाति भील निवासी एमडी व जिला राजसमन्द।
3. बंशी पुत्री केशु जी जाति भील निवासी एमडी तहसील व जिला राजसमन्द।
4. किशन पुत्र लालूराम जी जाति भील निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
5. बाबुलाल पुत्र लालूराम जी जाति भील निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
6. मूलचन्द पुत्र लालूराम जी जाति भील निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
7. रूपलाल पुत्र लालूराम जी जाति भील निवासी सांगा का खेडा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद।

................प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन भूमि एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 उपस्थित

उपस्थित –

वादी की ओर से अधिवक्ता – श्री शेषमल गाडरी

प्रतिवादी संख्या 1 – श्री भोपाल सिंह राव

प्रतिवादी संख्या 2 – एकपक्षीय

प्रतिवादी संख्या 3 से 7 – श्री विजय सिंह राव

प्रतिवादी संख्या 8 – पेरोकार राज

मे इस आशय में दिनांक 19.03.2024 को न्यायालय के समक्ष पीडी दिनांक 07.11.2022 की पालना में विभाजन योजना अन्तिम निपटारे के लिये तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम एमडी पटवार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner

मण्डल एमडी तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द स्थित खाता संख्या 704 सम्वत् 207[illegible] में दर्ज आराजी संख्या 33, 40, 53, 64, 66, 77, 78, 810, 891 कुल किता 9 का कुल रकबा 1.7887 हैक्टेयर लगान 53.72 का विभाजन, विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	अम्बालाल, रामलाल पिता मोहन 596/931 कमला मंगुडी देवी पुत्री मोहन रम्भाबाई पत्नि मोहन 335/931 भील सा. देह खा.	33/2 40/2 53/1 810/1 891/3	0.0891 0.0891 0.0647 0.1538 0.1619	चा।। चा।। चा।। चा। चा।	2.75 2.75 2.00 6.17 6.50
	योग	किता 5	**0.5586**	–	**20.17**
2	हरिराम पुत्र नाथू भील सा. देह खा.	33/1 40/3 53/2 810/2 891/2	0.0890 0.0890 0.0648 0.1457 0.1619	चा।। 0.0485 जा।। 0.0405 चा।। चा।। चा। चा। 0.0809 जा। 0.0810	1.50 0.62 2.75 2.00 5.85 3.25 1.60
	योग	किता 5	**0.5504**	–	**17.57**
3	भंवरलाल पुत्र केशु भील सा. देह खा.	33/3 40/1 77 78 891/1	0.0809 0.0809 0.1619 0.0324 0.1537	जा।। चा।। 0.0404 जा।। 0.0243 बीड। 0.0162 चा।। 0.1376 जा।। 0.0243 बीड। जा।	1.25 1.25 0.38 0.06 4.25 0.38 0.12 3.04
	योग	किता 5	**0.5098**	–	**10.73**
4	छगनलाल पुत्र गोकल भील सा. देह खा.	64 66	0.0890 0.0809	चा।। चा।।	2.75 2.50
	योग	किता 2	**0.1699**	–	**5.25**

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक–पृथक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार राजसमन्द को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भेजी जावें कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में, अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

अर्चना बुगालिया (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उक्त अंतिम डिक्री जारी आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner